कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जिला शहडोल (म.प्र.)

(फोन नं. 07652-241700, ईमेल- dmshahdol@gmall.com)

(आदेश अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144)

शहडोल, दिनांक:- 27, मई, 2022

क्रमांक/ 984 /आर.डी.एम./पंचा.निर्वा./2022 :: म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ज्ञाप. क्रमांक/एफ-37/PN-01/2022/तीन/212 भोपाल, दिनांक 27-05-2022 से त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 की घोषणा की गई है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही शहडोल जिले के जनपद पंचायत क्षेत्र (ब्यौहारी, जयसिंहनगर, गोहपारू, सोहागपुर एवं बुढ़ार) में राजनैतिक पार्टियां तथा व्यक्तियों द्वारा जुलूस, जनसंपर्क आमसभाएं इत्यादि गतिविधियां तेजी से प्रारंभ कर दी है, जिसमें काफी अधिक संख्या में व्यक्ति सम्मिलित हो रहे है, जिससे जनसमूह के स्थान पर जमा होने, जुलूस निकालने, राजनैतिक दलों / व्यक्तियों द्वारा जनसमूह के मध्य उत्तेजक वक्तव्य देने की आशंका से जन आक्रोश उत्पन्न होकर कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है, इसी प्रकार बाहरी व्यक्तियों के क्षेत्र में प्रवेश से मतदान प्रक्रिया को दूषित होने की आशंका भी उत्पन्न हो सकती है। अतएव मुझे इस तथ्य का समाधान हो जाता है कि जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 की प्रक्रिया के सुचारू रूप से संचालन, कानून व्यवस्था, लोक परिशांति एवं आपसी सद्भाव बनाये रखने के उद्देश्य से धरनों, जुलूसों, आमसभाओं, बाहरी व्यक्तियों के आगमन के परिप्रेक्ष्य में तत्काल प्रतिबन्धात्मक आदेश प्रसारित किये जाने की आवश्यकता है।

अत: मैं वंदना वैद्य कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शहडोल, शहडोल जिले के जनपद पंचायत क्षेत्रों में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन प्रतिबन्धात्मक आदेश प्रसारित करती हूं :-

1- यह कि इस अवधि में कोई भी व्यक्ति शस्त्र धारण नहीं करेगा, न ही लायेगा, न ले जावेगा तथा न ही प्रदर्शन करेगा। यह पाबंदी उन समुदायों पर लागू नहीं होगी, जो दीर्घकाल से प्रचलित रूढि प्रथा एवं विधि के अनुसार शस्त्र प्रदर्शन करने के लिए हकदार है । यह प्रावधान नगर पालिका सीमा / नगर परिषद क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में जाने वाले व्यक्तियों पर भी लागू होगा।

2- राजनैतिक दल, संस्था, संगठन, व्यक्ति बिना सक्षम अनुमति प्राप्त किये, किसी भी प्रकार की वाहन रैली नहीं निकालेगा सक्षम अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही चुनाव प्रचार एवं चुनाव सामग्री परिवहन हेतु वाहनों का उपयोग किया जा सकेगा। इसी प्रकार बिना अनुमति धरना प्रदर्शन, रैली, जुलुस आदि के लिए भी विधिवत अनुमति संबंधित अनुविभागीय अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट से ली जाना आवश्यक होगा ।

3- कोई भी राजनैतिक दल, संस्था अथवा संगठन किसी भी सार्वजनिक स्थान पर सभा, समारोह, जलसा आदि बिना अनुमति के नहीं करेंगे । सड़क, स्कूल, मैदान तथा शासकीय कार्यालयो के परिसर में सभा इत्यादि पूर्णतया निषिद्ध रहेगी ।

4- कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान, मार्ग, मकानों की छत पर आतिशबाजी का प्रयोग नहीं करेगा । कार्यालयों के परिसर में सभा इत्यादि पूर्णतया निषिद्ध रहेगी।

5- रैली, वाहन रैली ध्वनि विस्तारक यंत्र, सभा / आमसभा हेतु संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी, जिसमें ठेला गाड़ी पर लगे लाउड स्पीकर भी सम्मिलित होगें । कोई भी व्यक्ति, अभ्यर्थी तथा राजनैतिक दल, सक्षम अधिकारी (संबंधित अनुविभागीय अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट) की 48 घण्टे पूर्व अनुमति तथा पुलिस को पूर्व सूचना दिये बिना किसी भी सार्वजनिक स्थान पर न तो किसी आम सभा का आयोजन करेगा और न ही टेण्ट/पण्डाल इत्यादि लगायेगा।

6- कोई भी व्यक्ति, संस्था अथवा अन्य संगठन किसी समुदाय अथवा धर्म विशेष को लेकर अथवा अन्य प्रकार के आपत्तिजनक नारे नहीं लगायेगा एवं आपत्तिजनक पर्चा, पेम्पलेट आदि वितरित नहीं करेगा, सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित नहीं करेगा, जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचती हो तथा साम्प्रदायिक सौहार्द्र एवं शांति भंग हो सकती हो ।

7- किसी भी राजनैतिक दल या राजनैतिक व्यक्ति द्वारा शासकीय वाहनों अर्थात केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, शासन के अधिकृत उपक्रमों, स्थानीय निकायों, जनपद पंचायत, मार्केटिंग बोर्ड, सहकारी संस्थायें व अन्य सार्वजनिक शासन के वाहनों के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा ।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
शहडोल(म.प्र.)

8- आदर्श आचरण संहिता लागू होने से राजनैतिक व्यक्तियों द्वारा शासकीय वाहन जिसमें एयर क्रॉफ्ट एवं हेलीकॉप्टर भी शामिल है, का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए उपयोगित नहीं किये जायेंगे।

9- सार्वजनिक मैदान में सभा हेतु एवं हैलीपेड के उपयोग हेतु किसी का एकाधिकार नहीं होगा, सभी पार्टियों / अभ्यर्थी को यथोचित अवसर दिया जावेंगा।

10- रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, डॉक बंगलों को रुकने हेतु उपयोग जेड सुरक्षा श्रेणी एवं ऊपर के श्रेणी के द्वारा किया जा सकेंगा किन्तु राजनैतिक गतिविधि उनके द्वारा संचालित नहीं की जाएगी। (नोट जहां प्रेक्षक रूके है वहां राजनैतिक व्यक्तियों को रुकने की सुविधा नहीं दी जाएंगी)

11- शासकीय धन राशि से विज्ञापन जिसमें उपलब्धियों का विवरण हो, प्रतिबंधित रहेगा।

12- राजनैतिक अभ्यर्थियों द्वारा मौजूदा कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

13- घर- घर अभियान के दौरान सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर उम्मीदवारों सहित केवल पाँच व्यक्तियों के समूह को ही घर-घर अभियान करने की अनुमति होगी।

14- वाहनों के काफिले में पाँच वाहन रहेंगे तथा वाहनों के काफिलों के दो सेटों के मध्य अंतराल 100 मीटर के अंतराल के बजाय आधे घंटे रहेंगा|

15- किसी दल या अभ्यर्थी द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जावेंगा जिससे विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषायी समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदों को बढ़ाये या घृणा की भावना उत्पन्न करें या तनाव पैदा हो।

16- मत प्राप्त करने के लिये जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं दिया जाना चाहिये। मस्जिदों, गिरजाघरों, मंदिरों या पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जायेंगा।

17- राजनैतिक दलों /अभ्यर्थियों व उनके समर्थकों द्वारा अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं-जुलूसों में बाधा उत्पन्न नहीं की जावें।

18- सभी राजनैतिक दल/अभ्यर्थी व अन्य सभी व्यक्तियों को आदर्श आचरण संहिता का पालन करना अनिवार्य होगा, उल्लंघन की दशा में संबंधित के विरूद्ध धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय कार्यवाही की जायेंगी।

19- कोई भी गृह स्वामी यथास्थिति या अपने निजी या किराये के आवास पर किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं ठहरायेगा, जब तक कि उसकी लिखित सूचना संबंधित थाना प्रभारी को न दे दी जाय।

20- कोई भी व्यक्ति अपने आस-पास निवास करने आये संदेहास्पद व्यक्ति या व्यक्तियों की जानकारी जो कि उसके संज्ञान में आती है वह नहीं छिपायेगा।

यह आदेश आमजन को संबोधित है। चूंकि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जावें। अत: यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है।

यह आदेश जनपद पंचायत क्षेत्र ब्यौहारी, जयसिंहनगर, गोहपारू, सोहागपुर एवं बुढ़ार क्षेत्र में प्रभावशील रहेगा तथा वहां निवास करने वाले सभी व्यक्तियों एवं आने-जाने वाले आम जनता पर लागू होगा।

यह भी आदेश देती हूं कि इस आदेश की सूचना सर्वसाधारण जनता को पूरे क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्रों द्वारा भी दी जावें एवं आदेश के एक-एक प्रति इस कार्यालय, रिटर्निंग ऑफीसर कार्यालय के नोटिस बोर्ड, पुलिस थानों एवं अन्य सहगोचर, सार्वजनिक स्थल पर चस्पा की जावे। समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, तहसीलदार आदेश की प्रति सहज दृष्टिगोचर स्थान पर चस्पा करें।

इस आदेश का उल्लघंन करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, तथा अन्य सुसंगतों प्रावधानों के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

यह आदेश आज दिनांक 27, मई, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(वदंना वैद्य)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला शहडोल (म.प्र.)

पृ.क्रमांक-/आर.डी.एम./पंचा.निर्वा./2022/ 984-A

शहडोल दिनांक:- 27 , मई, 2022

प्रतिलिपि :-

1- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।

2- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

3- सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग म.प्र. शासन भोपाल।

4- आयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन म.प्र. शासन भोपाल।

5- कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

6- अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक / पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल रेंज, शहडोल (म.प्र.)।

7- उप पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल रेंज, शहडोल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

8- पुलिस अधीक्षक, शहडोल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

9- अपर जिला मजिस्ट्रेट, शहडोल (म.प्र.)।

10- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला शहडोल (म.प्र.)।

11- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला शहडोल (म.प्र.)।

12- उपखण्ड मजिस्ट्रेट / कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, समस्त, जिला शहडोल (म.प्र.)।

13- अनुविभागीय अधिकारी पुलिस समस्त जिला शहडोल (म.प्र.)।

14- तहसीलदार/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट समस्त जिला शहडोल (म.प्र.)।

15- मुख्य नगर पालिका/नगर पंचायत अधिकारी समस्त जिला शहडोल (म.प्र.)।

16- समस्त थाना प्रभारी जिला शहडोल (म.प्र.)।

17- जिल के समस्त राजनैतिक दलों के अध्यक्ष जिला शहडोल (म.प्र.)।

18- उप संचालक, जनसम्पर्क, शहडोल (म.प्र.) की ओर प्रकाशनार्थ।

19- स्टेनो टू कलेक्टर, जिला शहडोल (म.प्र.)।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला शहडोल (म.प्र.)